निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 115/2023(रे0वाद)
दायर दिनांक – 17/10/2023
निर्णय दिनांक – 17/01/2025

अनवान

1. सविता पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. डिम्पल पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. आशा पुत्री किशनसिंह पत्नि जितेन्द्रसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी छापली मजरा चान्देला की गुआर तहसील भीम जिला राजसमन्द
4. रेखा पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द। हाल निवासी छापली तहसील भीम जिला राजसमन्द
5. अनिता पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी थनेटा तहसील भीम जिला राजसमन्द

–वादीगण

बनाम

1. भूरसिंह पिता तेजसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्ब सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – अनुपस्थित, प्रतिवादी संख्या 01
पैरोकार सरकार उपस्थित प्रतिवादी संख्या 02

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादीगण के दादा तेजसिंह पिता गेनसिंह के नाम राजस्व ग्राम सांगावास–अ पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 से 2076 के खाता संख्या 210 आराजी संख्या 1075, 1076, 1077 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर, पुरान खाता संख्या 209, नवीन खाता संख्या 451 खसरा संख्या 1134, 1135 कुल रकबा 1.8600 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 209 आराजी संख्या 1071, 1072, 1073, 174, 1078, 1088, 1089, 1090, 1385, 1416 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में कृषि भूमियां वादीयागणो के मौरूसी होकर वादीयागणो का उक्त भूमियां में जन्म से हक अधिकार है। वादीयागणो के दादा तेजसिंह पिता गेनसिंह के नाम दर्ज थी। उक्त कृर्षी भूमियां वादीयागणो की पैतृक होकर मौरूसी जायदाद है। इन कृर्षी आराजीयात में वादीयागणो का जन्म से हक अधिकार होकर वादीयागण इन कृर्षी आराजीयात के कोपास्नर होकर हिस्से के अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग में है। वर्तमान में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृर्षी भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है। वादीयागण के पिता किशनसिंह पिता तेजसिंह ने अपने जीवन काल में कृर्षी भूमि पर बैक से ऋण लिया था परन्तु किसी कारण वश ऋण नही चुका पाया था। ऋण नही चुकान के डर से कि कही बैक कर्मचारी द्वारा कभी भी उसकी कृर्षी भूमिया पर कुर्क कर सकते है। तभी किशन के भाई भूरसिंह ने परार्मश दिया कि तेरे हिस्से के समस्त कृर्षी भूमियां मेरे नाम बैचान

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अथवा हकत्याग करा दे कुछ समय बाद मै तेरे हिस्से के कृषी भूमियां तुझे या तेरी पत्नि व तेरी पुत्रीयो के नाम पुनः विक्रय करा दूंगा। वादीयागण के पिता किशनसिंह ऋण नही चुका पाने व ऋण कर्मचारी भूमियो पर कुर्की हो जाने के डर का फायदा उठातें हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने (इस शर्त पर कि किशनसिंह कि समस्त कृषि भूमिया पुनः किशनसिंह अथवा उनके वारिसान के नाम विक्रय करा दुगा यह विश्वास दिलाकर) प्रतिवादी संख्या 1 नें उक्त कृषी भूमियां को सन् 2008 में अपने नाम पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा हकत्याग से बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये बिना विक्रय करा दी थी। उक्त कृषी भूमियां पर वादीयागण के अलावा काई कृर्षि भूमि नही है। वादीयागण कृर्षि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। वादीयागणो के परिवार का पालन पोषण का जरिया एक मात्र उक्त कृषि भूमिया ही है। वादीयागण के पिता किशनसिंह कि मृत्यु दिनांक 22.10.2020 हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 (भूरसिंह) को वादीयागणो ने कई बार कहा कि हमारे हिस्से कि भूमि पुनः हमारे नाम पर विक्रय करा दे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि विक्रय मै करा दुगां। हर बार यही कहता आया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 16.10.2023 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। जिससे वाद का कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। उक्त कृषि भूमिया वादीयागणो की मौरूसी हो कर पैतृक है उक्त भूमियां वादीयागणोके दादा जी तेजसिंह कि विरासत से उनके पुत्र किशनसिंह व भूरसिंह के हिस्से में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 ने धोखा धडी से अपने भाई (किशनसिह) की जमीन अपने नाम करा ली उक्त भूमि में वादीयागणो का पैतृक भूमि होने से अधिकार है जिससे वादीयागण अपने पैतृक भूमि को खातेदारी अधिकार से घोषणा करना चाहती है। प्रतिवादी संख्या

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

1 उक्त आराजीयात पर बल पुर्वक कब्जा करने पर उतारू है जबकि उक्त आराजीयात पर कब्जा वादीयागण का है उस पर आज भी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात को विक्रय करने पर आमद है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना आवश्यक है एवं दोराने सुनवाई उक्त आराजीयात पर कोई परिर्वतन या निर्माण किया जाता है। तो उसे आदेशात्मक आज्ञा के जरिये हटाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम कराया जाना आवश्यक है। वादीयागणो अपने हक अधिकारो से सदैव के लिये वंचित हो जायेगे जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना सम्भव नही होगा। वादीयागणो की मौरूसी एवं पैतृक भूमिया हिन्दु उत्तराधिकर के प्रवधान के अनुसार पैतृक भूमिया में परिवार के वारिसान का समान हक अधिकार होता है। वादीयागणो को भी अपने पूर्वज की उक्त कृर्षी भूमियां में जन्म से अधिकार है और जब तक वादीयागण अपने खातेदारी घोषणा नही करा लेती तब तक प्रतिवादीगण उक्त भूमियां को अन्तरित नही कर सकते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। ताकि प्रतिवादीगण वादीयागणो के हक अधिकारो से वंचित नही कर सके। वाद पत्र कि कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां में वादीयागणो का 1/2 हिस्सा उक्त वर्णित आराजीयात में वादीयागणो के हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है। अन्यथा वादीयागण अपने अधिकारो से सदैव के लिए वंचित रह जायेगे। यह वाद राज्य सरकार एवं पदाधिकारीगण के विरूद्व पेश किया जा रहा है। तथा राज्य सरकार एवं पदाधिकारीगण के विरूद्व वाद लाने से पूर्व 60 दिवस का कानूनी नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधान के अनुसार देना जरूरी होता है। किन्तु उक्त

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

नोटिस हेतु 60 दिवस का इन्तजार करने पर भुमि के बिलानाम दर्ज हो जाने से राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को आंवटित कर दी जाती है। तथा वादी से भुमि का वाद का कोई आशय नही रह जाता है, जिससे वादी का यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वादी के पास उक्त 60 दिवरा का मियादी नोटिस देने का समय नही है। कराने कि प्रार्थना के साथ माननीय न्यायालय की स्वीकृति चाहते हुये पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वाद ग्रस्त आराजीसात राजस्व ग्राम सांगावास–अ पटवार हल्का सांगावस के खाता नम्बर 210 आराजी नम्बर 1075 क्षेत्रफल 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1076 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1077 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 0.3500 हैक्टेयर व खाता संख्या 209 आराजी नम्बर 1071 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1072 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1073 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1074 क्षेत्रफल 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1078 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1088 क्षेत्रफल 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1089 क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1090 क्षेत्रफल 0.3400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1385 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1416 क्षेत्रफल 0.4100 हैक्टेयर, कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 1.6200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 451 आरजी नम्बर 1134 क्षेत्रफल 1. 6500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 1035 क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.8600 हैक्टेयर में वादीयागणो की पैतृक भूमियां होने से 1/2 हिस्सा है। जो वादीयागणो के खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की डिक्री जारी फरमाई जावे।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नही रहा।

वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण के दादा तेजसिंह पिता गेनसिंह के नाम राजस्व ग्राम सांगावास–अ पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 से 2076 के खाता संख्या 210 आराजी संख्या 1075, 1076, 1077 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर, पुरान खाता संख्या 209, नवीन खाता संख्या 451 खसरा संख्या 1134, 1135 कुल रकबा 1.8600 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 209 आराजी संख्या 1071, 1072, 1073, 174, 1078, 1088, 1089, 1090, 1385, 1416 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादीगणों के दादा तेजसिंह पिता गेनसिंह की मौत के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता किशनसिंह एवं भूरसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। वादीगण के पिता किशनसिंह पिता तेजसिंह ने अपने जीवन काल में कृषि कार्य हेतु बैंक से ऋण किया वादीयागण के पिता किशनसिंह ऋण नही चुका पाने व ऋण कर्मचारी भूमियो पर कुर्की हो जाने के डर का फायदा उठातें हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने (इस शर्त पर कि किशनसिंह कि समस्त कृषि भूमिया पुनः किशनसिंह अथवा उनके वारिसान के नाम विक्रय करा दुगा यह विश्वास दिलाकर) प्रतिवादी संख्या

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

1 नें उक्त कृषी भूमियां को सन् 2008 में अपने नाम पंजीकृत विक्रय पत्र अथवा हकत्याग से बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये बिना विक्रय करा दी थी। वादीगण कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहे है। वादीगण के पिता किशनसिंह कि मृत्यु दिनांक 22.10.2020 हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 (भूरसिंह) को वादीयागणो ने कई बार कहा कि हमारे हिस्से कि भूमि पुनः हमारे नाम पर विक्रय करा दे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि विक्रय मैं करा दुगां। परन्तु आज दिनांक तक उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी भूरसिंह पिता तेज सिंह द्वारा वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड नहीं करवाई गई है। वादीगण का उक्त आराजीयात पर विधिक अधिकार है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन किया गया बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा श्री पूरणसिंह पिता प्रेमसिंह जाति रावत निवासी सांगावास वादी संख्या 01 सविता पुत्री किशनसिंह पत्नी दिनेशसिंह जाति रावत निवासी सांगावास एवं वादी संख्या 04 रेखादेवी पुत्री किशनसिंह पत्नी पूरणसिंह जाति रावत निवासी सांगावास का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

–वर्ष 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार(संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 06 में प्रावधान है किः–

01 पुत्रियों का सहभागी अधिकारीः–

पुत्रियों को पुत्रों के समान संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहभागी अधिकार दिया गया।

यह अधिकार जन्म से ही लागू होता है, जैसा पुत्रों के लिए होता है।

02 विभाजन का अधिकारः–

पुत्रियों को भी पुत्रों की तरह पारिवारिक संपत्ति के विभाजन का अधिकार है। पुत्रियों पर भी पुत्रों के समान उत्तरदायित्व लागू होते हैं।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, भारत में हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार और वंशानुक्रम को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम की धारा 6, विशेष रूप से, संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) की संपत्ति में सदस्यों के हितों के हस्तांतरण से संबंधित है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

यहां कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के मामले दिए गए हैं, जिनमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 की व्याख्या या चर्चा की गई हैः–

1. **प्रकाश एवं अन्य बनाम फुलवती एवं अन्यः–** (2016) 2 SCC 36:

. इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में 2005 का संशोधन, जिसने बेटियों को संयुक्त संपत्ति में समान अधिकार दिया, केवल तभी लागू होगा जब पिता और बेटी दोनों संशोधन की तारीख (9 सितंबर 2005) को जीवित हों। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन पूर्वव्यापी (retrospective) प्रकृति का नहीं है।

2. **दनम्मा / सुमन सुरपुर एवं अन्य बनाम अमर एवं अन्य** (2018) 3 SCC 343: . इस मामले में, 2005 के संशोधन के बाद धारा 6 की व्याख्या को फिर से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह संशोधन पूर्वव्यापी (retroactive) प्रकृति का है, यानी कि बेटियों को संयुक्त संपत्ति में समान अधिकार होंगे, भले ही पिता की मृत्यु संशोधन के लागू होने से पहले हुई हो। इस फैसले ने प्रकाश बनाम फुलवती के पहले के फैसले को आंशिक रूप से रद्द कर दिया।

3. **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा*** (2020) 9 SCC 1:

. इस ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में 2005 का संशोधन पूर्वव्यापी (retroactive) है और यह सभी बेटियों पर लागू होता है, चाहे वे संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई हों, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिता संशोधन की तारीख को जीवित थे या नहीं। कोर्ट ने प्रकाश बनाम फुलवती और दनम्मा बनाम अमर के पहले के

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

फैसलों को इस हद तक रद्द कर दिया कि उन्होंने यह माना था कि संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है।

4. ***जी. सेकर बनाम गीता एवं अन्य*** (2019) 6 SCC 99:

इस मामले में, धारा 6 की व्याख्या और संयुक्त संपत्ति में बेटियों के अधिकारों पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि 2005 का संशोधन बेटियों को संयुक्त संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए था और इस संशोधन की व्याख्या लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले तरीके से की जानी चाहिए।

5. ***मंगम्मल बनाम टी.बी. राजू एवं अन्य*** (2018) 15 SCC 662:

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त संपत्ति में बेटियों के अधिकारों और धारा 6 में 2005 के संशोधन के प्रभाव पर चर्चा की। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह संशोधन हिंदू उत्तराधिकार कानूनों में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था।

ये मामले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 की व्याख्या को समझने में मदद करते हैं, खासकर 2005 के संशोधन के संदर्भ में, जिसका उद्देश्य बेटियों को संयुक्त संपत्ति में समान अधिकार देना था। विनीता शर्मा का मामला, विशेष रूप से एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने धारा 6 की व्याख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों, शपथ–पत्रों के आधार पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

राविता व अन्य बनाम भूरसिंह व अन्य
प्रकरण संख्या– 115/2023(रे0वाद)
निर्णय दिनांक–17/01/2025

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजरथान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगावास–अ पटवार हल्का सांगावारा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 से 2076 के खाता संख्या 210 आराजी संख्या 1075, 1076, 1077 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर, पुरान खाता संख्या 209, नवीन खाता संख्या 451 खसरा संख्या 1134, 1135 कुल रकबा 1.8600 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 209 आराजी संख्या 1071, 1072, 1073, 174, 1078, 1088, 1089, 1090, 1385, 1416 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर भूमि मे से भूरसिंह पिता तेजसिंह के नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजियात में से 1/2 हिस्सा विलोपित करते हुए। किशनसिंह पिता तेजसिंह के वारिसान को 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादग्रस्त भूमि में शेष इन्द्राज पुर्वानुसार बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को अपनी भूमि में किसी बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 115/2023

अनवान

1. सविता पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
2. डिम्पल पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
3. आशा पुत्री किशनसिंह पत्नि जितेन्द्रसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द। हाल निवासी छापली मजरा चान्देला की गुआर तहसील भीम जिला राजसमन्द।
4. रेखा पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द। हाल निवासी छापली तहसील भीम जिला राजसमन्द।
5. अनिता पुत्री किशनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द। हाल निवासी थनेटा तहसील भीम जिला राजसमन्द।

–वादीगण

बनाम

1. भूरसिंह पिता तेजसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सांगावास–अ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्ब सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – अनुपस्थित, प्रतिवादी संख्या 01
पैरोकार सरकार उपस्थित प्रतिवादी संख्या 02

में इस आशय मे दिनांक 17/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगावास–अ पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 से 2076 के खाता संख्या 210 आराजी संख्या 1075, 1076, 1077 कुल रकबा 0.3500 हैक्टेयर, पुरान खाता संख्या 209, नवीन खाता संख्या 451 खसरा संख्या 1134, 1135 कुल रकबा 1.8600 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 209 आराजी संख्या 1071, 1072, 1073, 174, 1078, 1088, 1089, 1090, 1385, 1416 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर भूमि में से भूरसिंह पिता तेजसिंह के नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजियात में से 1/2 हिस्सा विलोपित करते हुए। किशनसिंह पिता तेजसिंह के वारिसान को 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादग्रस्त भूमि में शेष इन्द्राज पुर्वानुसार बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को अपनी भूमि में किसी बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नही करे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द